रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253484
CG-DL-E-01042024-253484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2024/चैत्र 10, 1946
No. 90] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2024/CHAITRA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2024

(मामला संख्याः ए डी (ओआई) -06/2024)

विषय: चीन जन.गण. से "एजो पिगमेंट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/06/2024-डीजीटीआर.— 1. सुदर्शन केमिकल लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एजो पिगमेंट" (जिसे यहां आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत का अनुरोध करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयात पाटित कीमतों पर भारतीय कीमतों में प्रवेश कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है ।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ''एजो पिगमेंट'' है । विचाराधीन उत्पाद सिंथेटिक आर्गेनिक पिगमेंट की श्रेणी में आता है । इसका व्यापक रूप से पेंट, स्याही, प्लास्टिक, वस्त्र और सौदर्य प्रसाधन सहित विभिन्न उद्योगों में प्रयोग होता है ।

4. संबद्ध वस्तु को तीन अलग अलग रंगों जैसे यलो पिगमेंट, रेड पिगमेंट और औरेंज पिगमेंट में व्यापार किया जाता है । अलग अलग रंग होने के बावजूद प्रत्येक रंग की उप-श्रेणियां हैं । प्रत्येक रंग के अलग-अलग ग्रेड हैं और प्रत्येक ग्रेड का अलग रासायनिक सांद्रण और विशेषताएं हैं तथा इसलिए भिन्न-भिन्न अंतिम उपयोग हैं । विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रंग के प्रभाव देने के लिए किया जाता है और इसे व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है ।

5. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार यह उत्पाद अध्याय 32041711, 32041720 और 32041731 के तहत अध्याय 32 के तहत एक समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद को अन्य उप-शीर्ष 32041719, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769 और 32041790 के तहत भी आयात किया जा रहा है। र सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विषय जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

6. आवेदक ने उत्पादित समान वस्तु के साथ आयातित उत्पाद की उचित तुलना करने के लिए नीचे दिए गए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव दिया है।

एस एन	पी सीएन पैरामीटर्स	पीसीएन को प्रपोज किया	पी सीएन कोड
1	रंग	a. नारंगी b. लाल c. पीला	ओ/आर/वाई
2	रंग सूचकांक	a. पीओ 13, पीओ 34, पीओ5, पीओ 36 आदि। b. पीआर 57:1, पीआर 53:1, पीआर 48:1, पीआर 48:2, आदि। c. पीवाई 13, पीवाई 174, पीवाई 191, पीवाई 74 आदि।	XX

7. जांच के पक्षकार जांच शुरू होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन प्रस्तावित उत्पाद/पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं। इच्छुक पार्टियों को प्रासंगिक साक्ष्य के साथ अपनी टिप्पणियों को साबित करने की आवश्यकता है।

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) के संदर्भ में, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमों के अनुलग्नक I के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना की

अनुमति देती है, ऐसा न करने पर, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

घ. संबद्ध देश

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है ।

ड. जांच की अवधि

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (POI) 1 अक्टूबर 2022 - 30 सितंबर 2023 (12 महीने की अवधि) है। जांच के लिए क्षति की अवधि 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि को कवर करेगी।

च. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. आवेदन मेसर्स सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरक्यूलिस पिग्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिकेम प्राइवेट लिमिटेड, माइकास ऑर्गेनिक लिमिटेड, यूनिटी डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, विजय केमिकल इंडस्ट्रीज और वोक्सको पिग्मेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी आवेदन का समर्थन किया है। इसके अलावा, पिगमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी आवेदन का समर्थन किया है।

12. उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में इसका एक प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा, आवेदक ने कहा है कि उसने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है और इसका संबंध संबद्ध देश के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से नहीं है।

13. रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागतों या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार इसकी उचित तुलना करें । ऐसा नहीं होने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद जर्मनी और कोरिया से भारत में आयात किया जाता है। कोरिया आरपी की आयात मात्रा डी-मिनिमिस स्तर से ऊपर है। इसलिए, आवेदक ने कोरिया आरपी से आयात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इच्छुक पार्टियां आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं।

16. शुरुआत के उद्देश्य से, और नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार, प्राधिकरण ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है। प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को लाभ में उचित वृद्धि के साथ समायोजित माना है

छ. निर्यात कीमत

17. आवेदक ने द्वितीयक स्त्रोत आंकड़ों में यथासूचित संबंधित माल के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके विचाराधीन उत्पाद के निर्यात मूल्य की गणना की है। एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के कारण मूल्य समायोजन किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए निर्यात मूल्य पर प्रथम दृष्टया जांच शुरू करने के प्रयोजन से विचार किया जाता है।

ज. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और ऊपर निर्धारित निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, डंपिंग माजन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि डंपिंग मार्जिन महत्वपूर्ण है और न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त

प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस मूल्य से अधिक है जिस पर इसे संबंधित देश से निर्यात किया जाता है जिससे यह संकेत मिलता है कि संबंधित देश से उत्पन्न या निर्यात किए गए उत्पाद को निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। आवेदक ने दावा किया है कि मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद, संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए, आवेदक ने अपनी लाभप्रदता का त्याग कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर रिटर्न में गिरावट आई है। पाटन रोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, विषयगत देश में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग, घरेलू क्षति को प्रमाणित करने के बाद खुद को संतुष्ट कर लिया है। उद्योग और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध, और नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, इसके संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करता है। विषयगत देश में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद और पाटनरोधी शुल्क क की मात्रा की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच के लिए नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और ए डी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर विषय की जांच में खुद को पंजीकृत करें और अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया दर्ज करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच के किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

33. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर इस आशय के कारणों का एक पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

34. गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और उचित कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

ण. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें ।

त. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2024

(Case No. AD(OI)- 06/2024)

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning the imports of 'Azo Pigment' from China PR.

F. No. 6/06/2024-DGTR.— 1. Sudarshan Chemical Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Azo Pigment" (hereafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration'), originating in or exported from China PR (hereafter referred to as the 'subject country').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Product under consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is 'Azo Pigment'. The product under consideration belongs to a class of synthetic organic pigments, which is widely used in various industries, including paints, inks, plastics, textiles, and cosmetics.

4. The product under consideration is traded in three different colours such as Yellow Pigment, Red Pigment and Orange Pigment. Every colour has different grades, and each grade has different chemical concentrations and properties and therefore, has different end use application. The product under consideration is used for providing colour effects to various applications and is widely used in various industries.

5. The product under consideration has a dedicated customs classification under Chapter 32 under HS code 32041711, 32041720 & 32041731. However, the product under consideration is also being imported under other sub-heading 32041719, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769 and 32041790. The customs classification is only indicative and in no way binding on the scope of the subject investigation.

B. Product control number (PCN)

6. The applicant has proposed the below Product Control Number (PCNs) for making a fair comparison of the imported product with like article produced by the applicant.

SN	PCN Parameters	Proposed PCN	PCN Code
1	COLOR	d. Orange e. Red f. Yellow	O/R/Y
2	COLOR INDEX	d. PO 13, PO 34, PO5, PO 36 etc. e. PR 57:1, PR 53:1, PR 48:1, PR 48:2, etc. f. PY 13, PY 174, PY 191, PY 74 etc.	XX

7. The parties to the investigation can provide their comments on the proposed product under consideration/PCN methodology for the purpose of this investigation, if any, within thirty (30) days from the date of initiation of the investigation. The interested parties are required to substantiate their comments with relevant evidences.

C. Like article

8. The applicant has claimed that the product produced by the applicant is identical to the imported product. Product produced by the applicant is comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the product produced by the applicant is being treated as like article to the product under consideration imported from the subject country.

D. Subject country

9. The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of investigation (POI)

10. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st October 2022 – 30th September 2023 (a period of 12 months). The injury period for the investigation will cover the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

F. Domestic Industry and Standing

11. The application has been filed by the M/s Sudarshan Chemical Industries Limited. Anupam Colours Private Limited, Hercules Pigments Private Limited, Kwalichem Private Limited, Micas Organic Limited, Unity Dye Chem Private Limited, Vijay Chemical Industries and Voxco Pigments and Chemicals Private Limited have supported the application. In addition, Pigments Manufactures Association of India has also supported the application.

12. On the basis of the information available, the production of the Sudarshan Chemical Industries Limited accounts for a major proportion in the domestic production of like article in India. Further, the applicant has stated that it has not imported the product under consideration from the subject country and is not related to any exporters in the subject country nor to any importers in India.

13. In view of the above, the Authority notes that the applicant constitutes "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

G. Normal Value

14. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol, the normal value for Chinese producers may be determined based on costs or domestic selling prices prevailing in China, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of Para 1 to 6 of Annexure I to ADD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on para 7 and 8 of Annexure to the rules.

15. The applicant has claimed that the product under consideration is imported into India from Germany and Korea. The import volume of Korea RP is above de-minimis level. Therefore, the applicant has determined

normal value on the basis of import price from Korea RP. The interested parties may offer their comments on the normal value methodology proposed by the applicant.

16. However, for the purpose of initiation, and in accordance with para 7 of annexure 1 of the rules, the Authority has considered the normal value on the basis of the price paid or payable in India. The Authority has considered the cost of production of the domestic industry as adjusted with reasonable addition for profit for the purpose of determining normal value.

H. Export Price

17. The applicant has computed the export price of the product under consideration by considering the CIF price of the subject goods as reported in the secondary source data. the Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges to arrive at ex-factory export price. Export price claimed by the applicant is prima facie considered for the purpose of initiation of the investigation.

I. Dumping margin

18. Considering the normal value and the export price as determined above, the dumping margin has been determined. It is noted that the dumping margin is significant and above the de minimis level. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the normal value for the product under consideration is higher than the price at which it is exported from the subject country indicating that the product originating or exported from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters.

J. Injury and causal link.

19. The information furnished by the applicant has been considered for the assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury as a result of the alleged dumping, resulting in a significant decline in the profitability of the domestic industry. The applicant has claimed that despite no demand supply gap, the volume of subject imports has increased. To hold its market share, the applicant has sacrificed on their profitability, resulting in decline in profits, cash profits, PBIT, and returns on investments. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports of the subject goods from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

K. Initiation of anti-dumping investigation.

20. On the basis of the duly substantiated written application by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, about the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

L. Procedure

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

M. Submission of information

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd15-dgtr@gov.in and dir16-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

23. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit mentioned in this initiation notification.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

N. Time limit

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in and dir16-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

28. All the interested parties are hereby advised to register themselves in the subject investigation and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

O. Submission of information on confidential basis

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

31. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

33. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

P. Inspection of public file

35. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

Q. Non-cooperation

36. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.01 19:53:44 +05'30'